मंजूरी अपेक्षित नहीं थी या यदि उन्होंने उक्त आदेश को पारित करने में एक त्रुटि कारित की है, तब हमारी राय में उपयुक्त न्यायालय उस पर चर्चा करने के लिए दायी होगा किन्तु यह न्यायपीठ नहीं ।

14. इसलिए हमारा यह मत है कि इस न्यायपीठ को विद्वान न्यायमित्र द्वारा फाइल किए गए आवेदन को ग्रहण नहीं करना चाहिए । उपर्युक्त मतों के साथ उक्त आवेदन खारिज किया जाता है ।

अंतरिम आवेदन का तद्नुसार निपटारा किया गया ।

अनू.

[2008] 4 उम. नि. प. 110

देवी लाल

बनाम

राजस्थान राज्य

12 अक्तूबर, 2007

न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा और न्यायमूर्ति एच. एस. बेदी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304-ख – दहेज मृत्यु – मृत्यु के तुरंत पूर्व मृतका को उसके पति द्वारा दहेज के लिए यंत्रणा और उत्पीड़ित किया जाना जिसके कारण मृतका द्वारा आत्महत्या करना – घटना के कुछ दिन पूर्व भी मृतका के साथ मारपीट की गई तथा मृतका के पिता और चाचा द्वारा अभिकथन करना कि मृतका का पति उससे कम दहेज लाने के लिए निरंतर उत्पीड़ित करता था – अभियुक्त-अपीलार्थी की निचले न्यायालयों द्वारा की गई दोषसिद्धि मान्य ठहराई गई ।

प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी ने पुष्पा देवी, मृतका के साथ 1991 में विवाह किया था । उनके एक पुत्र ने जन्म लिया था । विवाह के समय पुष्पा के पिता हजारी राम ने अभिकथित रूप से काफी धन खर्च किया था । तथापि, अपीलार्थी का परिवार वधु पक्ष द्वारा दिए गए दहेज से प्रसन्न नहीं था । पुष्पा को अभिकथित रूप से यंत्रणा दी जाती थी और लगातार तंग किया जाता था । तथापि, उसकी अपने ससुर राम स्वरूप के विरुद्ध

कोई शिकायत नहीं थी । राम स्वरूप सर्वथा पुष्पा और उसके माता-पिता को इस बाबत आश्वस्त करता रहता था कि वह अपनी ओर से यह सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न करेगा कि पर्याप्त दहेज न लाने के लिए उसे परेशान या उत्पीड़ित न किया जाए । मृतका के पिता को तारीख 9 मई, 1994 को मालूम हुआ कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है तथा उसका दाह-संस्कार भी कर दिया गया है । तारीख 9 मई, 1994 को हजारी राम द्वारा एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि अन्वेषक अभिकरण अभियुक्त की सहायता कर रहा था । हजारी राम का एक अनुपूरक कथन अभिलिखित किया गया था जिसमें उसने अभिकथित रूप से यह स्वीकार किया था कि वह दाह-संस्कार के समय उपस्थित था । अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया था । तथापि, एक विरोध आवेदन फाइल किया गया था जिस पर दंड संहिता, 1860 की धारा 304-ख के अधीन अपराध किए जाने का संज्ञान लिया गया था । संहिता की धारा 304-ख के अधीन आरोप विरचित किए गए थे और उक्त संहिता की धारा 418-क के साथ पठित धारा 306 के अधीन अनुकल्पी तौर पर आरोप विरचित किए गए थे । विचारण न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों अर्थात् देवी लाल और उसकी माता सुख देवी दोनों को दोषसिद्ध किया गया था । अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध अभियुक्तों ने उच्च न्यायालाय के समक्ष एक अपील फाइल की और अपीलार्थी की अपील खारिज की गई थी किन्तु सुख देवी की अपील मंजूर की गई थी । अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए अभियुक्त अपीलार्थी ने अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह तथ्य कि पुष्पा की मृत्यु विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर हुई थी इस पर कोई विवाद नहीं है । पुष्पा की अप्राकृतिक मृत्यु के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है । हजारी राम ने स्वयं की अभियोजन साक्षी-1 के रूप में परीक्षा कराई । उनके अनुसार उन्होंने अपनी पुत्री को उसके विवाह के समय अपनी क्षमता से अधिक वस्तुएं दी थीं किन्तु अपीलार्थी के परिवार के सदस्य उनके द्वारा दिए गए दहेज की राशि से प्रसन्न नहीं थे और इसलिए वे प्रायः पुष्पा को उत्पीड़ित करते थे । उनके अनुसार अपीलार्थी का पिता राम स्वरूप एक सज्जन व्यक्ति था और वह उन्हें सदैव ही इस संबंध में आश्वस्त करता रहता था कि वह अपीलार्थी और उसकी माता को समझाने का प्रयत्न करेंगे किन्तु वे उसकी सलाह को नहीं मानते थे । उसने सुस्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि बच्चे के जन्म के पश्चात् भी पुष्पा ने उनसे कहा था कि वे उसके ससुर को बुलाएं

जिससे कि वे प्रसन्न हो जाएं और उसने उनसे यह भी कहा था कि वे उन्हें कुछ उपहार भी दें । राम स्वरूप उनके घर आया था और अपनी पुत्रवधु को वापस अपने साथ ले गया था । उन्होंने यह कथन किया कि जब कभी वह (राम स्वरूप) अपनी पुत्रवधु के घर जाता था, तब राम स्वरूप उन्हें दोनों हाथ जोड़कर इस संबंध में आश्वस्त करता था कि वह देवी लाल और उसकी माता को समझाएंगे । उनकी पुत्री की मृत्यु के 5 से 7 दिन पूर्व उसका भाई रणवीर उससे मिलने गया था । उसने उन्हें उनकी पुत्री की पिटाई किए जाने और उत्पीड़ित किए जाने के संबंध में बताया था और उनसे अपनी पुत्री के घर जाने के लिए कहा था । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में अपने द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए कथन का समर्थन किया । न्यायालय को अन्य साक्षी जो पक्षद्रोही किए गए थे, के अभिसाक्ष्य की अवेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है । कुछ साक्षियों की अपीलार्थी की ओर से परीक्षा की गई थी । उनके अनुसार हजारी राम से गांव के बड़े व्यक्तियों ने पूछा था कि क्या उसका पुष्पा की मृत्यु के संबंध में किसी व्यक्ति पर कोई संदेह था या क्या वह पुलिस को सूचित करना चाहता है, तब हजारी राम ने यह कथन करते हुए नकारात्मक उत्तर दिया था कि वह ऐसा नहीं करेगा । तथापि, उक्त साक्षियों ने यह स्वीकार किया कि वे केवल अपीलार्थी के कहने पर न्यायालय में अभिसाक्ष्य देने आए थे । (पैरा 9, 10, 13 और 14)

यह अवेक्षा करना महत्वपूर्ण है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में भी हजारी राम ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि ग्रामवासियों द्वारा उसे कोई सहायता नहीं दी गई थी । दोनों न्यायालयों ने अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को स्वीकार किया है । अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य पर अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकालने के लिए अवलम्ब लिया गया है । न्यायालय एक भिन्न मत व्यक्त करने के लिए कोई कारण नहीं पाता है । मुख्य प्रश्न जो इस अपील में हमारे विचारार्थ उठाया गया है, इस संबंध में है कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ख के लागू किए जाने के लिए एक मामला बनता था । श्री हेगड़े के निवेदन कि हजारी राम (अभियोजन साक्षी-1) ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन नहीं किया था कि पुष्पा से उसकी मृत्यु के तुरन्त पूर्व दहेज की किसी मांग के संबंध में तंग किया गया था, दंड संहिता, 1860 की धारा 304-ख के अधीन अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए कोई मामला साबित नहीं किया गया है । (पैरा 15, 16, 17 और 24)

निर्विवादित रूप से किसी अभियुक्त को एक अपराध के कारित किए जाने का दोषी पाए जाने के पूर्व, न्यायालय को इस संबंध में एक निष्कर्ष निकालना चाहिए कि उस अपराध के घटक साबित किए गए हैं । उक्त प्रयोजन के लिए एक साक्षी के कथन को इसकी संपूर्णता में पठन किया जाना चाहिए । साक्षी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कानून की धारा के शब्दों में या उसके अनुसार कथन करे । जो कुछ आवश्यक है, वह इस संबंध में पता लगाना है कि क्या अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य अपराध के घटकों को संतुष्ट करते हैं । अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाया गया साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह सुझाता है कि पुष्पा के साथ केवल इस आधार पर क्रूरता या तंग किया जाता था कि उसके पिता ने विवाह के समय पर्याप्त दहेज नहीं दिया था । उक्त तथ्य को साबित करने के लिए, यह आवश्यक नहीं था कि किसी विशिष्ट वस्तु की मांग की जाती । हजारी राम (अभियोजन साक्षी-1) और उसके भाई रणवीर (अभियोजन साक्षी-2) के साक्ष्य अपराध के घटकों को साबित करते हैं । उनके परिसाक्ष्यों को उनकी संपूर्णता पर विचार करते हुए हमें इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि पुष्पा के साथ दहेज की मांग के संबंध में और उसके लिए क्रूरता और तंग किया गया था । दहेज की मांग किसी भी समय समाप्त नहीं हुई थी । पुत्र के जन्म के पूर्व और उसके जन्म के पश्चात् भी मांगें की गई थीं । हजारी राम (अभियोजन साक्षी-1) के अभिसाक्ष्य का सरल पठन करने पर यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि पुष्पा के ससुर राम स्वरूप सर्वथा क्षमाग्राही रहे थे । उन्होंने अपीलार्थी और उसके माता को यह समझाया कि वे दहेज के लिए जोर न दें या कम से कम मृतका को इसके लिए तंग न करे । तथापि वह अपने प्रयासों में सफल नहीं हुए थे । पुष्पा का अपने ससुर के साथ भावनात्मक रूप से लगाव होगा । यह इससे प्रकट होता है जब हम यह पाते हैं कि एक बालक को जन्म देने के पश्चात् उसने अपने पिता से अपने ससुर को आमंत्रित करने और उन्हें कुछ उपहार देने के लिए अनुरोध किया था जिससे कि वे प्रसन्न हो जाएं । (पैरा 25, 26 और 27)

यह एक ऐसा मामला नहीं है जहां पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध गलत अभिकथन किए गए हों । केवल अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । किसी अन्य व्यक्ति को आलिप्त नहीं किया गया था । हजारी राम (अभियोजन साक्षी-1) ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि पुष्पा का ससुर एक सज्जन व्यक्ति था । अपनी पत्नी और पुत्र को इस बाबत प्रेरित करने के उनके प्रयास कि वे पुष्पा को तंग न करें

जिनमें वे अंततः सफल नहीं हो सके, किन्तु उनका इस निमित्त किया गया प्रयास अभियोजन साक्षी-1 द्वारा और उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा सराहा गया था । इसलिए यह एक ऐसा मामला नहीं कहा जा सकता कि जहां हजारी राम (अभियोजन साक्षी-1) ने किसी व्यक्ति को मामले में मिथ्या से आलिप्त किया है । उसके साक्ष्य को तात्विक विशिष्टियों पर उसके भाई रणवीर (अभियोजन साक्षी-2) द्वारा समर्थन किया गया है । यह तथ्य कि पुष्पा को तंग किया गया था या क्रूरता की गई थी, यह उसके अपने पुत्र के साथ ससुराल में वापस लौटने के पश्चात् भी समाप्त नहीं हुआ था और यह तथ्य कि घटना के कुछ दिन पूर्व भी उस पर हमला किया गया था, यह हमारे मत में दंड संहिता, 1860 की धारा 304-ख की कसौटियों को संतुष्ट करते हैं । रणवीर (अभियोजन साक्षी-2), ने अपने भाई हजारी राम (अभियोजन साक्षी-1) को पुष्पा से किए जा रहे उत्पीड़न के संबंध में सूचित किया था । उसे वहां जाने को कहा था । वह वहां गया था और उसने अपनी पुत्री को मृत पाया ; और उसका दाह-संस्कार पहले ही किया जा चुका था । विद्वान विचारण न्यायाधीश और इसी भांति माननीय उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की सहायता करने के लिए पुलिस द्वारा किए गए सभी प्रयासों की रीति पर भी टीका-टिप्पणी की । अन्वेषक अधिकारी ने हजारी राम (अभियोजन साक्षी-1) का एक अनुपूरक कथन अभिलिखित किया जो विद्वान विचारण न्यायाधीश के अनुसार पूर्णतया आवश्यक नहीं था । निचले न्यायालयों द्वारा उक्त अनुपूरक कथन के अभिलिखित किए जाने पर अविश्वास किया गया है । मामले पर इस दृष्टि से विचार करते हुए, न्यायालय का यह मत है कि आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किए जाने के लिए कोई मामला नहीं बनता है । (पैरा 28, 29 और 30)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2006]	(2006) 10 एस. सी. सी. 115 : **राम बदन शर्मा** बनाम **बिहार राज्य** ;	20
[2006]	(2006) 9 एस. सी. सी. 467 : **टी. अरुन्तपेरुनजोथी** बनाम **पांडिचेरी राज्य (थाना भारसाधक अधिकारी के माध्यम से)** ;	21
[2006]	(2006) 1 एस. सी. सी. 463 : **हरजीत सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	20

[2004] (2004) 12 एस. सी. सी. 257 :
हंस राज बनाम हरियाणा राज्य ; 23

[2001] (2001) 8 एस. सी. सी. 633 :
सतवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य । 22

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2001 की दांडिक अपील संख्या 1088.

1999 की एकल न्यायपीठ दांडिक अपील संख्या 187 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 5 दिसम्बर, 2000 को दिए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री संजय आर. हेगड़े

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री नवीन सिंह, अरुणेश्वर गुप्ता और शाश्वत् गुप्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने दिया ।

न्या. सिन्हा – अपीलार्थी ने पुष्पा देवी, मृतका के साथ 1991 में विवाह किया था । उनके एक पुत्र ने जन्म लिया था ।

2. विवाह के समय पुष्पा के पिता हजारी राम ने अभिकथित रूप से काफी धन खर्च किया था । तथापि, अपीलार्थी का परिवार वधु पक्ष द्वारा दिए गए दहेज से प्रसन्न नहीं था । पुष्पा को अभिकथित रूप से यंत्रणा दी जाती थी और लगातार तंग किया जाता था । तथापि, उसकी अपने ससुर राम स्वरूप के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी । राम स्वरूप सर्वथा पुष्पा और उसके माता-पिता को इस बाबत आश्वस्त करता रहता था कि वह अपनी ओर से यह सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न करेगा कि पर्याप्त दहेज न लाने के लिए उसे परेशान या उत्पीड़ित न किया जाए ।

3. पुत्र के जन्म के पश्चात् वह अपनी ससुराल लौटी थी । घटना, जोकि 1994 को घटित हुई थी, के कुछ दिन पूर्व उसका अंकल रणवीर (अभियोजन साक्षी-2) उसके पास आया था । उसने उन्हें, अपने साथ की जा रही यंत्रणाओं के संबंध में उन्हें बताया था । रणवीर ने यह बात उसके पिता को बताई थी । तारीख 9 मई, 1994 को उसका भतीजा मदन लाल (अभियोजन साक्षी-7) किसी स्थान पर जा रहा था । हजारी राम ने उससे कहा कि वह उसे उसकी पुत्री के घर ले चलें । पुष्पा के घर पहुंचने पर उन्होंने उसके संबंध में पूछताछ की । किन्तु इस संबंध में कोई उत्तर न

मिलने पर बाद में उन्हें यह बताया गया था कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी और शव का दाह-संस्कार कर दिया गया है । हजारी राम अभिकथित रूप से अपने ग्राम वापस लौटा । वह उमावली वापस गया । एक पंचायत की गई थी । अपीलार्थी के परिवार ने इस गलती को स्वीकार किया कि उन्हें हजारी राम को उनकी पुत्री की मृत्यु के संबंध में सूचित करना चाहिए था । इस पर सहमति की गई थी कि पुष्पा के पुत्र के नाम कुछ भूमि कर दी जाएगी ।

4. तारीख 9 मई 1994 को हजारी राम द्वारा एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि अन्वेषक अभिकरण अभियुक्त की सहायता कर रहा था । हजारी राम का एक अनुपूरक कथन अभिलिखित किया गया था जिसमें उसने अभिकथित रूप से यह स्वीकार किया था कि वह दाह-संस्कार के समय उपस्थित था । अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया था । तथापि, एक विरोध आवेदन फाइल किया गया था जिस पर दंड संहिता, 1860 की धारा 304-ख के अधीन अपराध किए जाने का संज्ञान लिया गया था । संहिता की धारा 304-ख के अधीन आरोप विरचित किए गए थे और उक्त संहिता की धारा 418-क के साथ पठित धारा 306 के अधीन अनुकल्पी तौर पर आरोप विरचित किए गए थे । विचारण न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों अर्थात् देवी लाल और उसकी माता सुख देवी दोनों को दोषसिद्ध किया गया था ।

5. अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील फाइल की और अपीलार्थी की अपील खारिज की गई थी किन्तु सुख देवी की अपील मंजूर की गई थी ।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित हुए विद्वान काउन्सेल, श्री संजय हेगड़े ने यह निवेदन किया कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की थी क्योंकि यह इस बात को विचार में लेने में विफल रहा था कि किसी भी विनिर्दिष्ट वस्तु के संबंध में दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी । यह तर्क किया गया था कि अभियोजन ने इस संबंध में साबित नहीं किया है कि क्या मृतका के साथ किया गया तात्पर्यित उत्पीड़न दहेज की मांग के परिणामस्वरूप था या नहीं । साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ख जिस पर विद्वान विचारण न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा भी अवलम्ब लिया गया है, के संबंध में श्री पारिख ने यह दलील दी है कि वह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है ।

7. दूसरी ओर, राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित हुए विद्वान काउन्सेल श्री नवीन सिंह ने यह निवेदन किया है कि अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि दंड संहिता, 1860 की धारा 304-ख. के सभी घटक साबित किए गए हैं ।

8. विद्वान विचारण न्यायाधीश के समक्ष अभियुक्त की प्रतिरक्षा यह थी कि क्योंकि पुष्पा देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए सामाजिक रीति-रिवाज यह अपेक्षा करता था कि इस अवसर पर बच्चे के नाना द्वारा उपहार दिए जाएं और मिठाई, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जाए । यह उल्लेख किया गया था कि लगभग उसी समय बड़े भाई, बनवारी लाल की पत्नी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया था और एक बड़ा समारोह किया गया था । पुष्पा भी अपने पिता से इसी रीति में अपने पुत्र के लिए एक समारोह कराना चाहती थी किन्तु ऐसा नहीं किया गया था । वह अपने माता-पिता के घर से वापस आई और कुछ दिनों के पश्चात् ही उसने आत्महत्या कर ली । प्रतिरक्षा पक्ष का इसके अतिरिक्त पक्षकथन यह था कि हजारी राम को एक व्यक्ति नन्द राम के माध्यम से उनके पुत्री की मृत्यु के संबंध में सूचित किया गया था जिसके अनुसरण में उन्होंने दाह-संस्कार में भाग लिया था । इसके पूर्व एक ग्राम पंचायत आयोजित की गई थी और उन्हें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के उनके अधिकार के संबंध में बताया गया था किन्तु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था क्योंकि एक अभ्यावेदन किया गया था कि बच्चे के नाम में कुछ जमीन स्थानान्तरित कर दी जाएगी ।

9. यह तथ्य कि पुष्पा की मृत्यु विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर हुई थी इस पर कोई विवाद नहीं है । पुष्पा की अप्राकृतिक मृत्यु के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है ।

10. हजारी राम ने स्वयं की अभियोजन साक्षी-1 के रूप में परीक्षा कराई । उनके अनुसार उन्होंने अपनी पुत्री को उसके विवाह के समय अपनी क्षमता से अधिक वस्तुएं दी थीं किन्तु अपीलार्थी के परिवार के सदस्य उनके द्वारा दिए गए दहेज की राशि से प्रसन्न नहीं थे और इसलिए वे प्रायः पुष्पा को उत्पीड़ित करते थे । उनके अनुसार अपीलार्थी का पिता राम स्वरूप एक सज्जन व्यक्ति था और वह उन्हें सदैव ही इस संबंध में आश्वस्त करता रहता था कि वह अपीलार्थी और उसकी माता को समझाने का प्रयत्न करेंगे किन्तु वे उसकी सलाह को नहीं मानते थे । उसने सुस्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि बच्चे के जन्म के पश्चात् भी पुष्पा ने उनसे

कहा था कि वे उसके ससुर को बुलाएं जिससे कि वे प्रसन्न हो जाएं और उसने उनसे यह भी कहा था कि वे उन्हें कुछ उपहार भी दें । राम स्वरूप उनके घर आया था और अपनी पुत्रवधु को वापस अपने साथ ले गया था । उन्होंने यह कथन किया कि जब कभी वह (राम स्वरूप) अपनी पुत्रवधु के घर जाता था, तब राम स्वरूप उन्हें दोनों हाथ जोड़कर इस संबंध में आश्वस्त करता था कि वह देवी लाल और उसकी माता को समझाएंगे । उनकी पुत्री की मृत्यु के 5 से 7 दिन पूर्व उसका भाई रणवीर उससे मिलने गया था । उसने उन्हें उनकी पुत्री की पिटाई किए जाने और उत्पीड़ित किए जाने के संबंध में बताया था और उनसे अपनी पुत्री के घर जाने के लिए कहा था । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में अपने द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए कथन का समर्थन किया ।

11. हम यह अवेक्षा कर सकते हैं कि रणवीर, अभियोजन साक्षी-2 ने विद्वान विचारण न्यायाधीश के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में निम्न कथन किया :–

> "मेरे भाई ने अपनी क्षमता के अनुसार अपनी पुत्री को अच्छा दहेज और वस्तुएं दी थीं । तत्पश्चात् जब कभी लड़की अपने माता-पिता के घर अपने ससुराल से आती थी, तब उसने हमें यह बताया कि उसके ससुरालीजन दहेज की इन वस्तुओं से खुश नहीं थे और उसे परेशान करते थे । बाद में मैं अपने भाई के साथ उमेवाली गया था और उनसे कहा था कि वे उसे तंग और उत्पीड़ित न करें । जितना संभव होगा, हम लगातार और दहेज देंगे । मेरे भाई ने मुझे मेरी भतीजी से मिलने को कहा । मैं उसकी मृत्यु के 5-7 दिन पूर्व उससे मिलने गया था । जब मैं उससे मिलने गया तब लड़की ने रोना शुरु कर दिया और कहा कि वे उसे परेशान और उत्पीड़ित करते हैं । मैं उसे सलाह देने के पश्चात् वापस लौट गया । मैंने अपने भाई को इसके संबंध में बताया कि उसके ससुरालीजन उसे दहेज के मुद्दे पर परेशान और उत्पीड़ित कर रहे थे ।"

12. अभियोजन साक्षी-12, मदन लाल, हजारी राम का भतीजा था । वह हजारी राम को तारीख 9 मई, 1994 को ग्राम उमेवाली ले गया । हजारी राम अपनी पुत्री के ससुराल में जाने के पश्चात् वापस आया और उसे बताया कि "उन्होंने पुष्पा की हत्या और दाह-संस्कार कर दिया है" ।

13. हमें अन्य साक्षी जो पक्षद्रोही किए गए थे, के अभिसाक्ष्य की

अवेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है ।

14. कुछ साक्षियों की अपीलार्थी की ओर से परीक्षा की गई थी । उनके अनुसार हजारी राम से गांव के बड़े व्यक्तियों ने पूछा था कि क्या उसका पुष्पा की मृत्यु के संबंध में किसी व्यक्ति पर कोई संदेह था या क्या वह पुलिस को सूचित करना चाहता है, तब हजारी राम ने यह कथन करते हुए नकारात्मक उत्तर दिया था कि वह ऐसा नहीं करेगा । तथापि, उक्त साक्षियों ने यह स्वीकार किया कि वे केवल अपीलार्थी के कहने पर न्यायालय में अभिसाक्ष्य देने आए थे ।

15. यह अवेक्षा करना महत्वपूर्ण है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में भी हजारी राम ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि ग्रामवासियों द्वारा उसे कोई सहायता नहीं दी गई थी ।

16. दोनों न्यायालयों ने अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को स्वीकार किया है । अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य पर अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकालने के लिए अवलम्ब लिया गया है । हम एक भिन्न मत व्यक्त करने के लिए कोई कारण नहीं पाते हैं ।

17. मुख्य प्रश्न जो इस अपील में हमारे विचारार्थ उठाया गया है, इस संबंध में है कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ख के लागू किए जाने के लिए एक मामला बनता था ।

18. संसद् ने 1983 के अधिनियम संख्यांक 46 और 1986 के अधिनियम संख्यांक 43 के द्वारा अधिनियम में धारा 113-क और धारा 113-ख को अंतःस्थापित किया । वे निम्नप्रकार हैं :–

> **"113क. किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा** – जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए "क्रूरता" का वही अर्थ है, जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 498क में है ।

113ख. दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा – जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध मे उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज मृत्यु" का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304ख में है ।

19. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-क, दंड संहिता, 1860 की धाराओं 498-क और 306 के अधीन अपराधों से संबंधित है जबकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख दंड संहिता की धारा 304-ख से संबंधित है । जबकि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-क के निबंधनानुसार अभियोजन से यह साबित करने की अपेक्षा है कि मृतका से क्रूरता की गई थी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख के निबंधनानुसार अभियोजन को यह साबित करना चाहिए कि मृतका से "ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता की थी या उसको तंग किया था ।"

20. यह प्रश्न कि दंड संहिता, 1860 की धारा 304-ख के उपबंध के घटक क्या हैं, यह और अधिक अनिर्णीत विषय नहीं है । वे निम्न हैं :–

"(1) यह कि स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है ;

(2) ऐसी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है ;

(3) यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में ;

(4) उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था ; और

(5) यह साबित किया जाता है कि ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न उसकी मृत्यु के शीघ्र पहले की गई थी । (देखिए **हरजीत सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] ; **राम बदन शर्मा** बनाम **बिहार राज्य**[2]) ।

21. **टी. अरुन्तपेरुनजोथी** बनाम **पांडिचेरी राज्य (थाना भारसाधक अधिकारी के माध्यम से)**[3] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया :–

"इस न्यायालय के अनेक विनिश्चयों को देखते हुए यह अब भली-भांति स्थापित है कि 'उसकी मृत्यु के तुरन्त पूर्व' से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होते हुए अभिप्रेत है ।"

22. **सतवीर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[4] वाले मामले में न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-क और 113-ख के बीच विभेद की निम्न कथन करते हुए अवेक्षा की :–

"निस्संदेह, दंड संहिता, 1860 की धारा 306 सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-क दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन एक अपराध पर विचार करने के लिए भी पर्याप्त रूप से व्यापक है । किन्तु पश्चात्कथित एक उच्चतर दंडादेश का उपबंध करते हुए कारावास की न्यूनतम अवधि अधिरोपित करने के द्वारा एक गंभीर अपराध बनाया गया है । दूसरे शब्दों में, यदि विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में एक स्त्री से उसकी मृत्यु के तुरन्तु पूर्व दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या तंग किया जाता है और उसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु होती है तब संसद् ने ऐसे एक मामले को अत्यन्त गंभीर अपराध के रूप में माना है जो उपयुक्त मामलों में आजीवन कारावास तक दंडनीय हो सकेगा । यह उक्त प्रयोजन के लिए है कि ऐसे मामलों को दंड संहिता की धारा 306 सपठित साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क के अधीन उपबंधित सामान्य प्रवर्ग से पृथक् किया गया है और एक पृथक् अपराध बनाया गया है ।"

---

[1] (2006) 1 एस. सी. सी. 463.

[2] (2006) 10 एस. सी. सी. 115.

[3] (2006) 9 एस. सी. सी. 467.

[4] (2001) 8 एस. सी. सी. 633.

23. **हंस राज** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया :–

> "13. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ख के विपरीत एक कानूनी उपधारणा, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-क में उपवर्णित परिस्थितियों के सबूत मात्र पर विधि के प्रवर्तन द्वारा उत्पन्न नहीं होगी । साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-क के अधीन अभियोजन को सर्वप्रथम यह साबित करना होता है कि संबंधित स्त्री ने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या कारित की और उसके पति ने (जैसाकि इस मामले में है) उससे क्रूरता की थी । यदि ये तथ्य साबित किए जाते हैं तब भी न्यायालय यह उपधारणा करने के लिए आबद्ध नहीं है कि उसके पति द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया था । धारा 113-क, न्यायालय को एक विवेकाधिकार देती है कि मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी एक उपधारणा करे, जिससे यह अभिप्रेत है कि जहां क्रूरता का अभिकथन किया जाता है, वहां इसे क्रूरता की प्रकृति पर विचार करना चाहिए जोकि स्त्री के साथ की गई थी और दंड संहिता की धारा 498-क में प्रयुक्त शब्दों "क्रूरता" के अर्थ को भी ध्यान में रखना चाहिए । मात्र यह तथ्य कि एक स्त्री ने अपने विवाह के सात वर्ष के भीतर आत्महत्या कारित की है और उससे उसके पति द्वारा क्रूरता की गई थी, इससे स्वतः यह उपधारणा उत्पन्न नहीं होगी कि उसके पति द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया था । न्यायालय से मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को विचार में लेने की अपेक्षा है । एक परिस्थिति जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए, यह है कि क्या अभिकथित क्रूरता ऐसी प्रकृति की थी जिसके कारण स्त्री के आत्महत्या कारित करने या स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को कोई गंभीर क्षति या खतरा पहुंचने की संभाव्यता थी ।"

24. श्री हेगड़े के निवेदन कि हजारी राम (अभियोजन साक्षी-1) ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन नहीं किया था कि पुष्पा से उसकी मृत्यु के तुरन्त पूर्व दहेज की किसी मांग के संबंध में तंग किया गया था, दंड संहिता, 1860 की धारा 304-ख के अधीन अपीलार्थी को

---

[1] (2004) 12 एस. सी. सी. 257.

दोषसिद्ध करने के लिए कोई मामला साबित नहीं किया गया है ।

25. निर्विवादित रूप से किसी अभियुक्त को एक अपराध के कारित किए जाने का दोषी पाए जाने के पूर्व, न्यायालय को इस संबंध में एक निष्कर्ष निकालना चाहिए कि उस अपराध के घटक साबित किए गए हैं । उक्त प्रयोजन के लिए एक साक्षी के कथन को इसकी संपूर्णता में पठन किया जाना चाहिए । साक्षी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कानून की धारा के शब्दों में या उसके अनुसार कथन करे । जो कुछ आवश्यक है, वह इस संबंध में पता लगाना है कि क्या अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य अपराध के घटकों को संतुष्ट करते हैं ।

26. अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाया गया साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह सुझाता है कि पुष्पा के साथ केवल इस आधार पर क्रूरता या तंग किया जाता था कि उसके पिता ने विवाह के समय पर्याप्त दहेज नहीं दिया था । उक्त तथ्य को साबित करने के लिए, यह आवश्यक नहीं था कि किसी विशिष्ट वस्तु की मांग की जाती ।

27. हजारी राम (अभियोजन साक्षी-1) और उसके भाई रणवीर (अभियोजन साक्षी-2) के साक्ष्य अपराध के घटकों को साबित करते हैं । उनके परिसाक्ष्यों को उनकी संपूर्णता पर विचार करते हुए हमें इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि पुष्पा के साथ दहेज की मांग के संबंध में और उसके लिए क्रूरता और तंग किया गया था । दहेज की मांग किसी भी समय समाप्त नहीं हुई थी । पुत्र के जन्म के पूर्व और उसके जन्म के पश्चात् भी मांगें की गई थीं । हजारी राम (अभियोजन साक्षी-1) के अभिसाक्ष्य का सरल पठन करने पर यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि पुष्पा के ससुर राम स्वरूप सर्वथा क्षमाग्राही रहे थे । उन्होंने अपीलार्थी और उसके माता को यह समझाया कि वे दहेज के लिए जोर न दें या कम से कम मृतका को इसके लिए तंग न करे । तथापि वह अपने प्रयासों में सफल नहीं हुए थे । पुष्पा का अपने ससुर के साथ भावनात्मक रूप से लगाव होगा । यह इससे प्रकट होता है जब हम यह पाते हैं कि एक बालक को जन्म देने के पश्चात् उसने अपने पिता से अपने ससुर को आमंत्रित करने और उन्हें कुछ उपहार देने के लिए अनुरोध किया था जिससे कि वे प्रसन्न हो जाएं ।

28. यह एक ऐसा मामला नहीं है जहां पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध गलत अभिकथन किए गए हों । केवल अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला

रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । किसी अन्य व्यक्ति को आलिप्त नहीं किया गया था । हजारी राम (अभियोज़न साक्षी-1) ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि पुष्पा का ससुर एक सज्जन व्यक्ति था । अपनी पत्नी और पुत्र को इस बाबत प्रेरित करने के उनके प्रयास कि वे पुष्पा को तंग न करें जिनमें वे अंततः सफल नहीं हो सके, किन्तु उनका इस निमित्त किया गया प्रयास अभियोज़न साक्षी-1 द्वारा और उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा सराहा गया था । इसलिए यह एक ऐसा मामला नहीं कहा जा सकता कि जहां हजारी राम (अभियोजन साक्षी-1) ने किसी व्यक्ति को मामले में मिथ्या से आलिप्त किया है । उसके साक्ष्य को तात्विक विशिष्टियों पर उसके भाई रणवीर (अभियोजन साक्षी-2) द्वारा समर्थन किया गया है । यह तथ्य कि पुष्पा को तंग किया गया था या क्रूरता की गई थी, यह उसके अपने पुत्र के साथ ससुराल में वापस लौटने के पश्चात् भी समाप्त नहीं हुआ था और यह तथ्य कि घटना के कुछ दिन पूर्व भी उस पर हमला किया गया था; यह हमारे मत में दंड संहिता, 1860 की धारा 304-ख की कसौटियों को संतुष्ट करते हैं । रणवीर (अभियोजन साक्षी-2), ने अपने भाई हजारी राम (अभियोजन साक्षी-1) को पुष्पा से किए जा रहे उत्पीड़न के संबंध में सूचित किया था । उसे वहां जाने को कहा था । वह वहां गया था और उसने अपनी पुत्री को मृत पाया ; और उसका दाह-संस्कार पहले ही किया जा चुका था ।

29. विद्वान विचारण न्यायाधीश और इसी भांति माननीय उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की सहायता करने के लिए पुलिस द्वारा किए गए सभी प्रयासों की रीति पर भी टीका-टिप्पणी की । अन्वेषक अधिकारी ने हजारी राम (अभियोजन साक्षी-1) का एक अनुपूरक कथन अभिलिखित किया जो विद्वान विचारण न्यायाधीश के अनुसार पूर्णतया आवश्यक नहीं था । निचले न्यायालयों द्वारा उक्त अनुपूरक कथन के अभिलिखित किए जाने पर अविश्वास किया गया है ।

30. मामले पर इस दृष्टि से विचार करते हुए, हमारा यह मत है कि आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किए जाने के लिए कोई मामला नहीं बनता है । इसलिए अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

अनू.